



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/नामांकन/2021/२००१

भोपाल, दिनांक 22/02/2021


आवश्यक सूचना (आंतरिक मूल्यांकन अंक)

२५.

नामांकन सत्र जुलाई/अगस्त-2020 के आपत्ति प्रकरणों में वांछित दस्तावेजों की पूर्ति हेतु आवश्यक सूचना क्रमांक/नामांकन/2021/145 दिनांक 21/01/2021 के माध्यम से दिनांक 10/02/2021 तक का समय दिया गया था एवं घोषित किया गया था कि जिन प्रकरणों में वांछित दस्तावेज दिनांक 10/02/2021 तक प्राप्त नहीं होंगे उनके नामांकन/पंजीयन नम्बर निरस्त किये जायेंगे।

विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णयानुसार जिन छात्रों के प्रकरणों में अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण के प्रमाण/दस्तावेज नामांकन शाखा में उपलब्ध हैं, उन छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक आनलाइन माध्यम से, परिपत्र क्रमांक/परीक्षा/आनलाइन/2021/1076 दिनांक 22/02/2021 के अनुसार स्वीकार किये जा रहे हैं।

नामांकन अधिसूचना क्रमांक/नामांकन/2020/1181 दिनांक 24/08/2020 अनुसार जिन विद्यार्थियों के पूर्ण दस्तावेज (अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण के प्रमाण) प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 28/02/2021 तक दस्तावेज जमा करने की छूट दी जाती है (सूची संलग्न है)। नामांकन शाखा में दस्तावेज प्राप्त होने के उपरान्त ही आंतरिक मूल्यांकन अंकों को भरने की अनुमति दी जावेगी, जिसके बाद संस्थाओं द्वारा अंकों की आनलाइन प्रविष्टि की जा सकेगी।


(डॉ. अविनाश बाजपेयी)
कुलसचिव